संख्या-11/2023/I/418946/2023

प्रेषक,

कुणाल सिल्कू
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 01 नवम्बर, 2023

विषय: बोर्ड द्वारा संचालित ''संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना'' के प्रस्तर-03 (पात्रता) में संशोधन पर अनापत्ति दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3177-78/भ0नि0बो0(2112)-2023, दिनांक 24-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बोर्ड की 60वीं बैठक दिनांक 27-07-2023 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-16 में हुए निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रस्तर-03 पात्रता की वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए इस पर अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है :-

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर-3 पात्रता	पात्रता : 1. बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो। 2. निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम (365) दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो। 3. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो।	पात्रता : 1. बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो। 2. निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो। 3. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को कक्षावार निम्नवत होनी चाहियें:- (1) कक्षा-01 व 02 हेतु आयु सीमा 06 वर्ष से 08 वर्ष अधिकतम। (2) कक्षा-03 से 05 हेतु आयु सीमा 08 वर्ष से 11 वर्ष अधिकतम। (3) कक्षा-06 से 08 हेतु आयु सीमा 11 वर्ष से 14 वर्ष अधिकतम। (4) कक्षा-09 से 12 हेतु आयु सीमा 14 वर्ष से 18 वर्ष अधिकतम। (5) स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु आयु सीमा 18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		वर्ष से 25 वर्ष अधिकतम। (6) किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (एम0बी0बी0एस0) एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम। (7) किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम। (8) भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0टी0), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0टी0), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एन0आई0एफ0टी0) एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम।
	4. निर्माण श्रमिक के बालक/बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा। 5. शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 6. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ देय होगा। 7. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 या कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साईकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।	4. निर्माण श्रमिक के बालक/बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा। 5. शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 6. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ देय होगा। 7. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 या कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साईकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

2- प्रश्नगत योजना में प्रस्तावित उक्तानुसार संशोधन पर अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बोर्ड, प्रश्नगत योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 के प्राविधानों का पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

कुणाल सिल्कू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष सचिव

संख्या-11/2023/I/418946(1)/2023, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दिलीप कुमार शुक्ल
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।